



प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि :- 04 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

पाठ्यक्रम
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण
अवधि 04 माह

कालांश विवरण अन्तः कक्षीय विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	120 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	26 दिवस
4	जंगल ट्रेनिंग हेतु	03 दिवस
5	फायरिंग	03 दिवस
6	मध्यवधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा	01 दिवस
7	अन्तः कक्ष विषय की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु	05 दिवस
8	बाह्य विषय की परीक्षा हेतु	05 दिवस
9	दीक्षान्त परेड समारोह हेतु	02 दिवस
10	अन्तः कक्ष प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	120-45 =75 दिवस
11	प्रतिदिन कालांश की संख्या	05 कालांश
12	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश		75 x5=375 कालांश

अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह- विधि प्रथम-भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम/महत्वपूर्ण विविध अधिनियम एवं महत्वपूर्ण केस लॉ तथा अभियोजन	127	100
2	द्वितीय समूह- पुलिस प्रशासन, कार्यप्रणाली एवं सुरक्षा कर्तव्य	65	100
3	तृतीय समूह- कानून एवं व्यवस्था, विधि विज्ञान, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार	60	100
4	चतुर्थ समूह-भारतीय संविधान, मानवाधिकार,पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ एवं पुलिस का आचरण व व्यवहार तथा सामान्य ज्ञान।	73	100
5	पंचम समूह- कम्प्यूटर एवं पुलिस विभाग में उसका प्रयोग	50	100
योग -		375	500

कालांश विवरण बाह्य कक्ष विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	120 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	26 दिवस
4	बाह्य विषय अन्तिम परीक्षा हेतु	05 दिवस
5	अन्तः कक्ष विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	05 दिवस
6	प्रशिक्षण समापन	02 दिवस
7	बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	120-38=82 दिवस
8	प्रतिदिन कालांश की संख्या	05 कालांश
9	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
10	बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश	82x05=410 कालांश

बाह्य कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण	85	100
2	पुलिस प्रशिक्षण	90	100
3	शस्त्र प्रशिक्षण	65	100
4	शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता	75	100
5	फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण	65	100
6	एम०टी० प्रशिक्षण (मोटर साईकिल)	15
7	तैरकी	15	
योग -		410	500

प्रशिक्षण संस्थान अपनी सुविधानुसार एम०टी० एवं तैरकी विषय का प्रशिक्षण करार्येंगे। इन विषयों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

परीक्षा संक्षेप

1. प्रशिक्षण अवधि में ढाई माह के उपरान्त अन्तः कक्ष विषयों की एक मध्यावधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अन्तः कक्ष विषयों के सभी समूहों का एक संयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। जिसमें सभी समूह के समान प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंको की श्रेणी के आधार पर साक्षात्कार अंको में अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में सभी समूहों के अलग-अलग प्रश्न-पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा समय एक घंटा होगा। प्रतिदिन दो प्रश्न-पत्र आयोजित कराये जायेंगे।
3. उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
4. उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा।
 - (क) प्राप्तांको के आधार पर।
 - (ख) प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भर्ती की वरिष्ठता के आधार पर।
 - (क) प्राप्तांको एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर
5. अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को एक माह का पूरक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे क्रमश उक्तानुसार निर्धारित किया जायेगा।

क्र०सं०	विवरण	अंक
1	अन्तः विषयों के कुल अंक	500
2	वाह्य विषयों के कुल अंक	500
3	प्रधानाचार्य/साक्षात्कार अंक	100
कुल योग		1000

प्रधानाचार्य/साक्षात्कार हेतु 100 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार है।

(अ) 50 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषय प्रशिक्षकीय/खेल-कूद/सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क- प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिये अधिकतम		05 अंक
1- एक अथवा अधिक खेलों में प्लाटून का प्रतिनिधित्व करने पर	05 अंक	
2- एक अथवा अधिक खेल में संस्था का प्रतिनिधित्व करने पर	10 अंक	
3- एक अथवा अधिक खेल में प्रशिक्षण जोन का प्रतिनिधित्व करने पर	15 अंक	
4- एक अथवा अधिक खेल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने पर	20 अंक	
ख- प्रशिक्षण के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये		10 अंक
1. कार्यक्रमों में सहभागिता	05 अंक	
2. कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता एवं संचालन	10 अंक	
ग- प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर		20 अंक
1. विशेष योग्यता श्रेणी 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	20 अंक	
2. प्रथम श्रेणी 75 प्रतिशत से 84.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	18 अंक	
3. द्वितीय श्रेणी 65 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	15 अंक	
4. तृतीय श्रेणी 50 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	10 अंक	

(ब) शेष 50 अंक साक्षात्कार के समय प्रशिक्षार्थी के अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार, संस्था के लिये उसके योगदान एवं अतिरिक्त उत्तदायित्वों (मैस मैनेजर, टोली कमाण्डर, कक्षा मॉनीटर) इत्यादि को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत परीक्षण (साक्षात्कार) के आधार पर दिये जायेंगे। इस साक्षात्कार में प्रत्येक प्रशिक्षु के सभी प्रशिक्षक सम्मिलित किये जायेंगे, ताकि प्रशिक्षुओं का पूर्ण आंकलन किया जा सके।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंको में से ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

1. चारित्रिक पतन :- 20 अंक
2. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थित, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक रेस्ट, अस्तपताल भर्ती 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से :- 10 अंक
3. अवज्ञा :- 05 अंक
4. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड :- 03 अंक
5. डिफाल्टर/चेतावनी :- 02 अंक
6. गम्भीर अनुशासन :- 10 अंक

पाठ्यक्रम आंतरिक विषय

प्रथम समूह— विधि प्रथम(भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम/महत्वपूर्ण विविध अधिनियम एवं महत्वपूर्ण केस लॉ तथा अधिनियम)

कालांश :- 127

पूर्णांक:- 100

भारतीय दण्ड संहिता:- 1860

कालांश :-

अध्याय	विवरण
अध्याय-4	साधारण अपवाद धारा 82,83,84,85,96 से 100 तक
अध्याय- 5	दुष्प्रेरण के संबंध में धारा 107 से 109, 120
अध्याय-5 क	आपराधिक षडयंत्र धारा 120क एवं 120 ख
अध्याय 8	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 153क, 159,160
अध्याय 9	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध धारा 166 से 171
अध्याय 11	पुलिस अभिरक्षा से निकल भागने सम्बन्धी संबंधी अपराध धारा 223 से 225
अध्याय 15	धर्म से संबंधित अपराध धारा 295, 295ए, 296
अध्याय 16	प्रथम –मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में धारा 299 से 304, 304ए, 304बी,307 से 309
अध्याय 16	द्वितीय मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 319 से 326, 332, 333, 336, 337, 338
अध्याय 16	तृतीय मानव शरीर संबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 341
अध्याय 16	चतुर्थ मानव शरीर पर आपराधिक बल और हमले के संबंध में धारा 353,354
अध्याय 16	पंचम व्यपहरण ,अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में धारा 359से 363ए, 364, 364ए, 366,
अध्याय 16	षष्ठम बलात्संग के विषय में धारा 375, 376, 376ए से 376 डी
अध्याय 17	प्रथम सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी विषयक धारा 378 से 382
अध्याय 17	द्वितीय उदयापन के विषय में धारा 383 एवं 384
अध्याय 17	तृतीय लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 396 व 399 से 402
अध्याय 17	चतुर्थ सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 सं 406 व 409
अध्याय 17	पंचम चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 414
अध्याय 20	विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में धारा 494, 497, 498
अध्याय 20क	पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा कूरता के विषय में धारा 498ए
अध्याय 23	अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511

दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश :-

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	परिभाषायें धारा 2ए से 2 वाई
अध्याय-4	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों) धारा 36 द0प्र0सं0
अध्याय- 5	(व्यक्तियों की गिरफ्तारियों) धारा 41, 41क,41ख,41ग, 41घ से 60 द0प्र0सं0
अध्याय-7	तलाशी संबंधी साधारण उपबन्ध धारा 100, 102 द0प्र0सं0
अध्याय 8	(परिशांति स्थापित करने के लिये, सदाचार के लिये प्रतिभूति) धारा 106, 107,108, 109, 110 द0प्र0सं0
अध्याय 10ए	लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना (विधि विरुद्ध जमाव) धारा 129 से 132
अध्याय 10बी	लोक बाधा (पब्लिक न्यूसेंस) धारा 133
अध्याय 10सी	आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले मे धारा 144
अध्याय 10 डी	स्थायी सम्पत्ति में विषय में विवाद धारा 145
अध्याय 11	पुलिस का निवारक कार्य धारा 149 से 152
अध्याय 12क	पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्तियाँ धारा 154 एवं 155
अध्याय 12 ख	पुलिस की अन्वेषण शक्तियाँ धारा 156 एवं 159
अध्याय 12 ग	पुलिस की गवाहों को परखने की शक्तियाँ धारा 160 से 164
अध्याय 12 घ	पुलिस की अन्वेषण से संबंधी तलाशी की शक्तियाँ धारा 165 से 167
अध्याय 12 च	अन्वेषण को पूर्ण करने से सम्बन्धित प्रक्रिया धारा 168 से 173
अध्याय 12 छ	अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच धारा 174 से 176
अध्याय 33	जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध धारा 436 से 439 द0प्र0सं0

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश :-

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय एवं तथ्यों की सुसंगति धारा 3, 6 से 11, 14, 15
अध्याय-2 ख	संस्वीकृतियाँ धारा 17, 24 से 30
अध्याय- 2 ग	उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता धारा 32, 32(1)
अध्याय-2 छ	अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45 से 47, 51
अध्याय 4	मौखित साक्ष्य के विषय में धारा 59,60
अध्याय 5	दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 61 से 65क, 65ख, 67, 69, 74 से 78, 85क, 85 ख
अध्याय 7	सबूत के भार के विषय में धारा 101, 102, 113क, 113ख, 114, 114 क
अध्याय 9	साक्ष्यों के विषय में धारा 118, 119, 125, 133, 134
अध्याय 10	साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 135, 137

केन्द्रीय विविध अधिनियम

कालांश :-

1	उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण धाराओं
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधि०- 1966 धारा 2 (परिभाषायें) 3 एवं 5
3	आयुध अधिनियम 1959 धारा 2,3 से 6, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 37 से 39
4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 9, 13
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 धारा 1 से 7
6	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2से 7, 12, 13, 15, 17
7	विधि विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम- 1967 (यथा संशोधित 2004) धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 14 से 22,25
8	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 1988 धारा 7 से 13, 17, 19, 20
9	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 2 से 7, 8, 10,12,13,16,17,19,20,22
10	भारतीय रेल अधिनियम-1989 धारा 137 से 147, 150 से 157, 160 से 168, 172 से 176, 179, 180
11	दहेत प्रतिषेध अधिनियम-1986 धारा 2 से 8क
12	स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8, 15 से 32, 36अ, 41से 68
13	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2000 महत्वपूर्ण धारायें
14	सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1867 धारा 3, 4, 7, 13, 13क
15	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
16	राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम' 1911 धारा 3,5,6,8
17	अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम- 1956 धारा 1 से 18, 20, 21
18	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम- 1984 धारा 2 से 6
19	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम - 1994
20	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) धारा4, 5, 7, 16, 20, 29, 31, 35, 39, 40, 44 से 47, 56, 66, 119, 122 से 135, 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 202, 207
21	राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971
22	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण धारायें
23	घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें

उत्तर प्रदेश के अधिनियम

कालांश :-

1	उ०प्र० गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 3, 4
2	उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3,4,6,7,12,15,17 ँ 23,25,34,35,38,42,45,48से 52, 54 से 70, 72
3	उत्तराखण्ड गोवध संरक्षण अधिनियम 2007
4	यू०पी० पी०ए०सी० एक्ट
5	उ०प्र० अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (अधि० सं० 30/1966)

केस लॉ

संविधान एवं मानवाधिकार

कालांश :-114

मानवाधिकार

1. हथकड़ी का प्रयोग

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099

सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743

इन विधि व्यवस्थाओं में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय दंड संहिता

1. प्रथम सूचना में देरी

राजस्थान राज्य बनाम एन०के० एससीसी 2000 पृष्ठ 30

प्र०सू०रि० में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा० न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।

2. विधि विरुद्ध कब्जा

उ०प्र० राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी 2001 पृष्ठ— 726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

विधि विरुद्ध आधिपत्य यदि मान्य है तब उसे संपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है। मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।

साक्ष्य अधिनियम

1. मृत्युकालीन कथन

उकराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पुष्ठ 972 (मा० सर्वोच्च न्यायालय)

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालिन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।

2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य

निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 सर्वोच्च न्यायालय

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

अभियोजन

1. जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी
2. विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन।
3. डी०जी०सी० (क्रिमिनल)/ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी आदि के कर्तव्य।
4. रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई।
5. अभियोगो का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/ पैरोल की प्रक्रिया।

1— गार्ड्स एवं एस्कॉर्ट रूल्स नियम संख्या—2 से 12, 17, 18, 21, 24, 149, 153, 154, 161, 163, 165, 193, 194, 196, 197, परिशिष्ट—2

2—विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था

1. व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता।
2. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक
3. विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पुलिस व्यवस्था।
4. अंगरक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व।
5. सुरक्षा एवं गार्ड ड्यूटी
6. गार्ड ड्यूटी के प्रकार—कट्टरपंथी एवं राजद्रोहात्मक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र के परिक्षेत्र
7. धमकी से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा।
8. एस्कॉर्ट एवं कानवॉय की सुरक्षा।
9. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, वायुयानों, रेलवे, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक महत्व के भवनों एवं सीमाओं की सुरक्षा।
10. सार्वजनिक / महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियों व सुरक्षा।
11. आत्मघाती हमला/फिदाइन अटैक—सावधानियों व सुरक्षा।

3— बंदियों की सुरक्षा :—

1. जिला कारागार एवं केन्द्रीय कारागार के विषय में जानकारी।
2. कारागार में निरुद्ध बंदियों की स्थिति (विचाराधीन एवं सजायाफता कैदियों की संख्या)
3. बंदियों को कारागार से न्यायालय पेशी हेतु लाने एवं ले जाने के नियम एवं सावधानियों।
4. बंदियों की सुरक्षा एवं निगरानी।

4— पुलिस रेगुलेशन :—

- अध्याय 1 — (वरिष्ठ अधिकारीगण) पैरा 1 से 4, 12 से 15 तथा 17
अध्याय 2 — (रिजर्व निरीक्षक तथा रिजर्व उपनिरीक्षक) पैरा 18 से 24
अध्याय 5— (उपनिरीक्षक तथा ना0पु0 के अधिनस्त अधिकारी) पैरा 43 से 52 तथा 51, 55, 58
अध्याय 6— (सशस्त्र पुलिस) पैरा 65 से 72
अध्याय 18 विशेष गार्ड और अतिरिक्त पुलिस
अध्याय 22 (अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज) पैरा 294, 295, 296
अध्याय 23 — (पुलिस थाने पर रखे गये अभिलेख) पैरा 301 से 308
हे0का0स0पु0 के कर्तव्य पैरा 65, 66, 67, 68

- 5- उ0प्र0 पुलिस अधिनस्त श्रेणी अधिकारी एवं कर्मचारी दंड अपील नियमावली 1991
- 6- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली – संपूर्ण
- 7- रैंक और बैच
- 8- वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन के अनुसार)
- 9- पदक एवं अलंकार के प्रकार
- 10- आवासीय सुविधायें (पदवार)
- 11- पुलिस जवानों के परिवार कल्याण कार्यक्रम
- 12- भोजनालय व्यवस्था एवं प्रबन्ध

पुलिस प्रशासन

- 1- उत्तराखण्ड का प्रशासनिक ढांचा।
- 2- उत्तराखण्ड के विभिन्न मंडलों एवं जनपदों का प्रशासनिक ढांचा।
- 3- केन्द्रीय पुलिस संगठन- उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. आई0बी0	6. रेलवे सुरक्षा बल	10. एन0एस0जी0
2. सी0बी0आई0	7. रेलवे सुरक्षा विशेष	11. एस0पी0जी0
3. बी0पी0आर0एण्ड डी0	बल	12. आर0एण्ड डब्लू (रॉ)
4. सी0आर0पी0एफ0	8. सी0आई0एस0एफ0	13. एन0सी0आर0बी0
5. बी0एस0एफ0	9. आई0टी0बी0पी0।	
- 4- भारतीय थल, वायु, व जल सेनायें इंटरपोल का इतिहास, संगठन एवं कार्य।
- 5- उत्तराखण्ड पुलिस का संगठन :- राज्य स्तर, जोन स्तर, परिक्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर थाना, चौकी तथा ग्रामीण पुलिस, रिजर्व पुलिस लाइन्स, आर्म्ड पुलिस, यातायात पुलिस, अभियोजन शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ, डी0सी0आर0बी0, एल0आई0यू0, फील्ड यूनिट, बाल अपराध यूनिट, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना।

6- विशेष इकाइयों (सामान्य जानकारी)

1. अपराध अनुसंधान विभाग तथा इसके अंतर्गत अन्य संगठन-
 - अ- अपराध शाखा
 - ब- विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता।
 - स- विशेष अनुसंधान शाखा कृषि
2. अर्थ विषयक सूचना एवं अनुसंधान इकाई
3. भ्रष्टाचार निवारण संगठन
4. उ0प्र0 राज्य विधुत परिषद के अंतर्गत पुलिस संगठन
5. अभिसूचना विभाग का संगठन एवं कार्य
6. पी0ए0सी0 का संगठन एवं कार्य

7. तकनीकी सेवायें :-
 - क- विधि विज्ञान प्रयोगशालाए
 - ख- पुलिस रेडियो शाखा
 - ग- राज्य अपराध सूचना केन्द्र
 - घ- यातायात निदेशालय
 - ड-राज्य पुलिस मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र
8. पुलिस मुख्यालय का संगठन एवं कार्य
9. सर्तकता अधिष्ठान का संगठन एवं कार्य
10. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय संगठन एवं कार्य
11. अग्निशमन सेवायें- संगठन एवं कार्य
12. अभियोजन निदेशालय-संगठन एवं कार्य
13. केन्द्रीय वस्त्र भण्डार देहरादून
14. केन्द्रीय आयुद्ध भण्डार ऊधमसिंहनगर

7- सहायक इकाईयाँ

1. होमगार्ड संगठन एवं कार्य
2. नागरिक सुरक्षा संगठन एवं कार्य
3. ग्राम/मौहल्ला सुरक्षा समितियाँ/प्रान्तीय रक्षा दल
4. विशेष पुलिस ।

- 1- कानून एवं शांति का महत्व
- 2- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रमुख प्राविधान।
- 3- **भीड़ नियन्त्रण :-**
 1. भीड़ के प्रकार, मनोविज्ञान व व्यवहार
 2. भीड़ नियंत्रण क सिद्धांत तथा जबावी रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थल।
 3. आशांकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 के दौरान शान्ति व्यवस्था ड्यूटी।
 4. निम्न के दौरान सशस्त्र पुलिस (आर्म्ड पुलिस) की ड्यूटी कर्तव्य एवं सावधानियाँ
क- औद्योगिक विवादों यथा-बन्द हड़ताल व प्रदर्शन।
ख- हिंसक आन्दोलन व विधि विरुद्ध जमाव यथा-साम्प्रदायिक, राजनैतिक, विद्यार्थी वर्ग आदि।
 5. हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।
- 4- **साम्प्रदायिक दंगा नियंत्रण :-**
 1. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्यूटी-कर्तव्य एवं सावधानियाँ।
 2. दंगा नियंत्रण योजना का ज्ञान एवं कार्यवाही।
 3. उ0प्र0 मुख्य साम्प्रदायिक दंगे तथा पुलिस कार्यवाही की समीक्षा।
- 5- **मेला प्रबन्धन :-**
 1. मेला क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति-कर्तव्य एवं दायित्व।
 2. यातायात, घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस, संचार, वाच टावर, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था।
 3. अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त ड्यूटी।
- 6- **त्यौहार पर पुलिस व्यवस्था :-**
 1. त्यौहार पर सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति-कर्तव्य एवं दायित्व।
 2. संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान सावधानियाँ।
- 7- **चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी :-**
 1. मतदान केन्द्रों पर समय से ड्यूटी हेतु पहुंचना।
 2. मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शान्तिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना।
 3. अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना।
 4. बैलेट बॉक्स व वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
 5. मतगणना के समय ड्यूटी।
 6. चुनाव परिणामों के बाद जलूसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी।
- 8- **यातायात नियंत्रण एवं प्रबंधन**
 1. यातायात के सामान्य सिद्धांत विधि एवं मोटर गाड़ी नियम-24, 42, 78, 79, 84 से 86, 88, 102, 116, 136, 141, 164

2. यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान।
 3. ट्रैफिक इंजीनियरिंग—कासिंग, द्वीप एवं सिगल्स।
 4. विभिन्न स्थितियों जैसे—सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गीय यातायात एवं विशिष्ट व्यक्तियों को आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना।
 5. राजमार्गों पर यातायात के नियम एवं आचरण
 6. ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था।
 7. यातायात सुरक्षा संबंधी ज्ञान।
 8. हाइवे पैट्रलिंग
 9. ट्रैफिक बीट्स
 10. यातायात कार्यों में जनता एवं विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में तालमेल।
 11. वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण।
 12. वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैशर/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने संबंधी नियम का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु गणमान्य व्यक्तियों /अधिकारियों की जानकारी।
- 9— **आपदा प्रबंधन** —
1. आकस्मिक दुर्घटनायें—चक्रवात, बाढ, भूस्खलन एवं भूकम्प।
 2. कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व।
 3. सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं में पुलिस का उत्तरदायित्व।
 4. अग्निशमन/बचाव कार्य
 5. अन्य विभागों से सामंजस्य
 6. राहत सेवाओं के रखरखाव के प्राविधान।

फॉरेंसिक साइंस (विधि विज्ञान)

1. विधि विज्ञान संस्थान तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थान तथा उनके पुलिस के उपयोग, विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संबंधी कानून।
2. **घटना स्थल** :- परिभाषा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियाँ, घटनास्थल की सुरक्षा से लाभ।
3. **अस्त्रक्षेप विज्ञान (बैलेस्टिक)**
 क— आग्नेयास्त्र, कारतूस, बुलट, छर्रे, टिकलियां, फायरिंग पाउडर के प्रकार, फायरिंग के द्वारा प्रभावित अन्य पदार्थ।
 ख— फायर से दूरी का निर्धारण, रिकोचेटिंग, नाइट्राइट रेजीड्यू टेस्ट एवं विभिन्न प्रकार के मार्क्स।
 ग— घटनास्थल से अवशेषों को उठाना एवं भेजना।
4. **विस्फोटक** :-
 क— विस्फोटक पदार्थ, प्रकार एवं विस्फोटक पदार्थों की पहचान।
 ख— अवशेषों को उठाना, पैक करना एवं परीक्षण हेतु भेजना।
 ग— विस्फोटक पदार्थों/सामग्री से सावधानियाँ एवं बचाव के तरीके।
 घ— बम डिस्पोजल स्क्वाड एवं उपकरण।

पुलिस रेडियो संचार प्रणाली।

1. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली (वायरलैस संचार) आवश्यकता एवं विधि।
2. वी0एच0एफ0, यू0एच0एफ0, रिपीटर संचार प्रणाली तथा सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली।
3. एच0एफ0, इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0 आदि।
4. आधुनिक संचार विधियाँ—सैटेलाइट कम्यूनिकेशन पोलनेट, ऑप्टिकल फाइबर आदि।
5. रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकतायें।
6. वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निराकरण।
7. हैण्ड हैल्ड, स्टैटिक्स मोबाइल पर कार्य करने का व्यवहारिक/प्रयोगात्मक ज्ञान।

दूरसंचार प्रणाली

1. लैण्ड लाइन एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली।
2. मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार।
3. मोबाइल फोन के विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग।
4. प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर।

चतुर्थ समूह—भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ एवं पुलिस का आचरण व व्यवहार तथा सामान्य ज्ञान

कालांश – 73

पूर्णांक:— 100 अंक

1— भारतीय संविधान :-

1. प्रस्तावना :- अनुच्छेद 1
2. मौलिक अधिकार :- अनुच्छेद 12 से 35
3. मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व :- अनुच्छेद 36 से 51, 51 ए
4. निर्वाचन :- अनुच्छेद 324 से 329, 330, 332, 340
5. आपात उपबन्ध :- अनुच्छेद 352, 353, 355, 356, 358, 359
6. शासकीय सेवकों को प्राप्त संरक्षण :- अनुच्छेद 311
7. राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य के प्रमुखों का संरक्षण :- अनुच्छेद 361, 361क
8. जनहित याचिका(उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय)

2— भारतीय आरक्षण नीती एवं प्रदेश सरकार की आरक्षण नीती—

1. आरक्षण की अवधारणा, आवश्यकता एवं उद्देश्य।
2. आरक्षण—एतिहासिक परिपेक्ष्य
3. आरक्षण—संवैधानिक उपबंध
4. आरक्षण—वर्तमान व्यवस्था(केन्द्र व राज्य सरकार)
5. नवीनतम शासनादेशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के संदर्भ में।

3— मानवाधिकार एवं उससे संबंधित समस्यायें :-

1. मानवाधिकार एवं पुलिस कार्य प्रणाली में उनकी महत्ता एवं उपयुक्तता।
2. मानवाधिकार के संरक्षण का संवर्धन में पुलिस की भूमिका।
3. पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन।
4. हिरासत में हिंसा—सताया जाना, मृत्यु व बलात्कार, कारण एवं निवारण।
5. पुलिस द्वारा लागू किये जाने वाले विभिन्न कानूनों में मानवाधिकार के प्राविधान।
6. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
7. शिकायतकर्ताओं, अपराध के भुक्तभोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शन बिन्दु।
8. विधि विरुद्ध जमाव व भीड़ की ड्युटी में मानवाधिकारों का संबंध।
9. हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन
10. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग—कार्य एवं शक्तियाँ।

4— पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :-

1. आतंकवाद—कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव।

2. भारत में आई0एस0आई0 की गतिविधियाँ।
3. विघटनकारी शक्तियों यथा पूर्वी उ0प्र0 में नक्सलवादी गतिविधियाँ, पीपुल्स बार ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठन एवं इनकी गतिविधियों को रोकने के उपाय।
4. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध—चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश
5. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से संबंध।

5— आतंकवाद :-

- 1— विभिन्न आतंकवादी संगठनों का विवरण उसका मुखिया तथा ठिकाने।
- 2— हाल में हुई जघन्य आतंकवादी घटना का अध्ययन —
 - (क) मृत एवं घायल व्यक्तियों की संख्या।
 - (ख) घटना में संलिप्त मुख्य अपराधी/आतंकवादी संगठन।
 - (ग) घटना में इस्तेमाल की गई विस्फोटक सामग्री एवं डिवाइसों की जानकारी तथा प्रयोग का तरीका।
 - (घ) पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।
 - (ङ) घटना की अघतन स्थिति।
 - (च) घटना का अनावरण किस प्रकार किया गया।
 - (छ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

6— पुलिस का आचरण :-

1. पुलिस आचरण के सिद्धांत।
2. वर्तमान समय में पुलिस का आचरण व उसका पुलिस के कार्य एवं छवि पर प्रभाव।
3. पुलिस अधिकारी का व्यक्तित्व तथा समाज पर उसका प्रभाव।
4. पुलिस का जनता से अच्छे सम्बन्धों की आवश्यकता।
5. पुलिस बल में प्रशिक्षक का महत्व व कार्य क्षमता के विकास में सहायता।
6. जन प्रबन्ध:-
 - क— पुलिस बल में अनुशासन का महत्व एवं अनुशासन स्थापित करने के उपाय।
 - ख— पुलिस बल से सहयोग की भावना को जागृत करना तथा उसे बनाये रखना।
 - ग— पुलिस बल का अपने उच्चाधिकारियों के प्रति व्यवहार।
 - घ— पुलिस बल का अपने अधीनस्थों के प्रति व्यवहार।
 - ङ — पुलिस बल का समान रैंक के प्रति व्यवहार।

7— पुलिस का समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण :-

1. पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार।
2. पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार।
3. मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, नशेड़ी, पागल एवं आत्मघाती व्यक्ति के बारे में पुलिस का दृष्टिकोण।

8— सामान्य ज्ञान —

(क) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

1. मानव शरीर की संरचना

2. मानव रक्त का वर्गीकरण
3. एचआईवी (एड्स) का ज्ञान एवं बचाव के उपाय
4. विभिन्न संक्रमण रोग एवं बचाव के उपाय यथा— मलेरिया, तपेदिक इत्यादि।

(ख) आर्थिक (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. भारत की अर्थव्यवस्था
2. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था।
3. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर
4. संसाधनों का वितरण—रूपयों कहां से आता है।
5. उत्तराखण्ड का बजट प्राथमिकता एवं चुनाव
6. पुलिस बजट एवं उसका वितरण।
7. कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार।

(ग) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. भारत के मानचित्र का व्यवहारिक ज्ञान।
2. प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ
3. भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ।

(घ) सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
2. अखिल भारतीय पुलिस ड्युटी मीट
3. उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार
4. विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
5. विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
6. विख्यात पुस्तकें।
7. लक्ष्य प्रतिष्ठित पदों के प्रमुख।

(ङ) नवीन राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय घटनाचक्र (स्वाध्याय हेतु विषय)

(च) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान।
2. पर्यावरण संरक्षण।

1. कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग।
2. कम्प्यूटर का परिचय एवं मूल सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली।
3. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
4. कम्प्यूटर हार्डवेयर— सीपीयू, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, रोम, रैम एवं कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली का ज्ञान।
5. **स्टोरेज यूनिट** :- प्राइमरी एवं सैकेण्डरी मैमोरी के प्रकार तथा उदाहरण सहित।
6. **सॉफ्टवेयर** :- ऑपरेटिंग सिस्टम एवं डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम
7. **सॉफ्टवेयर** :- ऑफिस ऑटोमेशन हेतु।
8. विण्डो को स्टार्ट करने एवं बंद करने का व्यवहारिक ज्ञान।
9. सहवर्ती उपकरण— माउस, की-बोर्ड, स्केनर, यू0पी0एस0 इत्यादि का प्रयोग एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण।
10. **डेस्कटॉप** :- आईकॉन का ज्ञान, फोल्डर बनाने का ज्ञान व उसके अन्दर फाइल बनाने का व्यवहारिक ज्ञान।
11. **कम्प्यूटर वायरस** :- कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान, एन्टीवायरस का ज्ञान।
12. **इंटरनेट** :-
 - 1— इंटरनेट से संबंधित उपकरणों की जानकारी एवं प्रयोग।
 - 2— इंटरनेट का ज्ञान एवं उसका प्रभावी प्रयोग।
 - 3— इंटरनेट का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
 - 4— ई-मेल बनाने का व्यवहारिक ज्ञान।
 - 5— एस0सी0आर0बी0/एन0सी0आर0बी0 इत्यादि की साइट को एक्सेस करना।
 - 6— टेलीफोन डायरेक्ट्री व इन्क्वारी एक्सेस करना।
13. **माइक्रोसॉफ्ट वर्ड** :-
 - 1— परिचय स्थापित करना।
 - 2— मैन्यू, टूल बार, स्कूलबार, स्टेटस बार आदि।
 - 3— फॉन्ट का ज्ञान।
 - 4— फाइल बनाना, सेव करना, इंसर्ट करना, इंपोर्ट करना एवं एक्सपोर्ट करना।
 - 5— टेबिल पर कार्य करना।
 - 6— स्टार्इल्स एवं साइज व पेज फार्मेट करना।
 - 7— पेज ब्रेक्स, पेज नंबर, हेडर फूटर, फुट नोट बनाना।
 - 8— फ्रेम्स, कालम्स एवं फार्मस पर कार्य करना इत्यादि।
 - 9— टूल्स आदि के साथ कार्य करना।
 - 10— पेज सेट करना एवं प्रिंट आउट लेना इत्यादि।
14. सी0सी0टी0एन0एस0 की जानकारी।
15. कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी।
16. पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न प्रकार के पैकेज/सॉफ्टवेयर

पाठ्यक्रम वाह्य विषय

1- पदादि प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :- 85

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	टर्न आउट	05
2	स्कावड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशीप	20
3	व्यक्तिगत योग्यता	10
4	प्रशिक्षकीय क्षमता	10
5	शस्त्र ड्रिल/रायफल एक्सरसाइज	15
6	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	05
7	गार्द माउटिंग	10
8	किर्च/केन ड्रिल	05
9	शोक कवायद/हर्ष फायर	10
10	ई०ओ०डी०।	10
योग		100

2- पुलिस प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :-90

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	एन्टी डकैती ड्रिल	10
2	दंगा नियन्त्रण/बलवा ड्रिल	20
3	बैत ड्रिल	10
4	टियर स्मोक ग्रेनेड (एण्टी रॉयट गन), शैल गन	10
5	एण्टी रॉयट गन (अश्रु गैस)	05
6	रैस्पीरेटर ड्रिल	05
7	जलूस एवं मेले के समय पुलिस प्रबंध/ व्यवस्था	10
8	यातायात नियंत्रण ड्रिल	10
9	सड़क पंक्ति	10
10	प्राथमिक चिकित्सा	05
11	अग्निशमन एवं बचाव कार्य	05
योग		100

3- शस्त्र प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :- 65

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
फायरिंग (50 अंक एवं 15 कालांश)		
1	.303 बोर रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0 रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
3	.303 एल0एम0जी0 (गुपिंग, एप्लीकेशन, सिंगलशट, बस्ट फायर)	10
4	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन (बैटल, क्राउच, एम)	12
5	रबड़ बुलेट फायरिंग	03
6	ग्रिनेड थ्रो व फायरिंग	05
वेपेन्स थ्योरी (50 अंक एवं 61 कालांश)		
1	.303 बोर रायफल फायर ट्रैच करना एवं वेपन पिट करना।	10
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0/ए0के0 47 रायफल एवं 5.56 एम0एम0 इन्सास रायफल थ्योरी	10
3	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन थ्योरी	10
4	.303 एल0एम0जी0 थ्योरी/7.62 एमएम एल0एम0जी0	05
5	9एमएम पिस्टल/रिवाल्वर	06
6	जी0एफ0 रायफल/मिनी प्लेयर/ग्रिनेड	04
7	आई0ई0डी0, बूबी ट्रैप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियाँ तथा पहचान एवं निष्क्रिय करना।	05
सम्पूर्ण योग		100

4- शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :-75

(1) शारीरिक प्रशिक्षण :- पूर्णांक:- 35

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	पी०टी० एक्सरसाइज	10
2	कमाण्ड लीडरशिप	05
3	चौड़ा घोड़ा	02
4	लंबा घोड़ा	03
5	बीम (संख्या के आधार पर अंको का विभाजन)	05
6	सामने लुढक	02
7	पीछे लुढक	03
8	रस्सा	05
योग		35

बीम :-

क्र०सं०	संख्या	पूर्णांक
1	10 बीम लगाने पर	05
2	08 बीम लगाने पर	04
3	06 बीम लगाने पर	03
4	04 बीम लगाने पर	02

(2) यू०ए०सी० कालांश -05 पूर्णांक:- 05 अंक

विषय	पूर्णांक
यू०ए०सी०	05

(3) योगासन कालांश - 06 पूर्णांक:- 10 अंक

विषय	पूर्णांक
सूर्य नमस्कार	05
सर्वांगासन	05

(4) बी०ओ०ए०सी० :-

पूर्णांक:- 10 अंक

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	सीधा बैलेन्स	01
2	किलियर जम्प	01
3	टेड़ा बैलेन्स	01
4	डबल बीम	01
5	डबल डिंच	01
6	मंकी रोप	01
7	स्वंगिंग रोप	01
8	12 फीट बाधा दीवार	02
9	धुस	01
योग		10

शारीरिक दक्षता :-

पूर्णांक:- 40 अंक

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	क्रिकेट बॉल थ्रो	05
2	क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०	15
3	दौड़ 400मीटर	08
4	दौड़ 100 मीटर	06
5	सिट-अप 50 एक मिनट में	06
योग		40

शारीरिक दक्षता के उक्त विषयों का दूरी/समय के अनुरूप अंको का वर्गीकरण :-

(1) क्रिकेट बॉल थ्रो

पूर्णांक:- 05 अंक

क्र०सं०	दूरी	अंक
1	60 मीटर थ्रो	05
2	55 मीटर थ्रो	04
3	50 मीटर थ्रो	03
4	45 मीटर थ्रो	02

(2) क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०**पूर्णांक:- 15 अंक**

क्र०सं०	समय	अंक
1	14 मिनट में	15
2	14.01 से 16 मिनट तक	13.5
3	16.01 से 18 मिनट तक	12.5
4	18.01 से 20 मिनट तक	11.5
5	20.01 से 22 मिनट तक	9.5
6	22.01 से 24 मिनट तक	7.5
7	24.01 से 26 मिनट तक	5.5

(3) दौड़ 400 मीटर**पूर्णांक:- 08 अंक**

क्र०सं०	समय	अंक
1	01.05 मिनट में	8
2	01.06 से 01.10 मिनट तक	7
3	01.11 से 01.15 मिनट तक	6
4	01.16 से 01.20 मिनट तक	5
5	01.21 से 01.25 मिनट तक	4
6	01.26 से 01.30 मिनट तक	3

(4) दौड़ 100 मीटर**पूर्णांक:- 06 अंक**

क्र०सं०	समय	अंक
1	12.30 सेकेण्ड में	6
2	12.31 से 13.00 सेकेण्ड में	5
3	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	4
4	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	3
5	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	2

(3) सिट अप**पूर्णांक:- 06 अंक**

(सिट-अप 50)		
क्र०सं०	समय	अंक
1	01.00 मिनट में	06
2	01.01 से 01.30 मिनट तक	05
3	01.31 से 02.00 मिनट तक	04
4	02.01 से 02.30 मिनट तक	03
5	02.31 से 03.00 मिनट तक	02

5- फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :-65

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	फील्ड क्राफ्ट का 05 भाग का विश्लेषण	
	ऑब्जरवेशन :- दिन एवं रात्रि	05
	केमोफ्लाइज / कन्सीलमेंट	05
	सैक्शन फॉर्मेशन / प्लाटून फॉर्मेशन	05
	जंगी चाल, खाली हाथ / शस्त्रों के साथ, आडो के प्रकार	05
	फायर कन्ट्रोल आर्डर	05
2	आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण	
	आतंकवादी क्षेत्र में मोबाइल चैक पोस्ट लगाना	05
	रोड़ बैरियर चैकिंग	05
	गुरिल्ला टैक्टिस / फौजी टैक्टीकल शब्दावली	05
	कानवॉय एवं स्कोर्ट ड्युटी / सावधानियाँ	05
3	तलाशी-व्यक्ति, मकान, गाड़ी, गाँव एवं क्षेत्र की तलाशी	10
4	आतंकवादी के स्थान पर दबिश डालना / ड्राइव फॉर हन्ट ऑपरेशन	10
5	एम्बुश करना एवं एम्बुश से बचना, इमिडियेट एक्शन ड्रिल	10
6	पैदल एवं गाड़ी से क्षेत्र में गश्त करना / कॉम्बिंग	10
7	प्लान ड्राइंग	
	दिशाओं का ज्ञान, कम्पास से रीडिंग पढना, मैप रीडिंग, रात्रि में मार्च करना, ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउण्ड	10
	सैंड मॉडल का प्रयोग, ब्रीफिंग व डी-ब्रीफिंग एवं डिस्कशन	05

पाठ्यक्रम
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण
अवधि 04 माह

कालांश विवरण अन्तः कक्षीय विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	120 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	27 दिवस
4	फायरिंग	03 दिवस
5	मध्यवधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा	01 दिवस
6	अन्तः कक्ष विषय की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु	03 दिवस
7	बाह्य विषय की परीक्षा हेतु	04 दिवस
8	दीक्षान्त परेड समारोह हेतु	07 दिवस
9	अन्तः कक्ष प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	120-45 =75 दिवस
10	प्रतिदिन कालांश की संख्या	05 कालांश
11	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश		75 x5=375 कालांश

अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह- विधि प्रथम-भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम/महत्वपूर्ण विविध अधिनियम एवं महत्वपूर्ण केस लॉ तथा अभियोजन	127	100
2	द्वितीय समूह- पुलिस प्रशासन, कार्यप्रणाली एवं सुरक्षा कर्तव्य	65	100
3	तृतीय समूह- कानून एवं व्यवस्था, विधि विज्ञान, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार	60	100
4	चतुर्थ समूह-भारतीय संविधान, मानवाधिकार,पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ एवं पुलिस का आचरण व व्यवहार तथा सामान्य ज्ञान।	73	100
5	पंचम समूह- कम्प्यूटर एवं पुलिस विभाग में उसका प्रयोग	50	100
योग -		375	500

कालांश विवरण बाह्य कक्ष विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	120 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	27 दिवस
4	बाह्य विषय अन्तिम परीक्षा हेतु	04 दिवस
5	अन्तः कक्ष विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	03 दिवस
6	दीक्षान्त परेड अभ्यास	07 दिवस
7	बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	120-41=79 दिवस
8	प्रतिदिन कालांश की संख्या	05 कालांश
9	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
10	बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश	79x05=395 कालांश

बाह्य कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण	85	100
2	पुलिस प्रशिक्षण	90	100
3	शस्त्र प्रशिक्षण	60	100
4	शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता	67	100
5	फील्ड क्राफ्ट एवं दस्तू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण	60	100
6	रखरखाव	33	
योग -		395	500